# दिनांक 01.09.2008 को नरेगा–सेल की स्थापना के संबंध में सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय

आज दिनांक 01.09.2008 को नरेगा–सेल की स्थापना के संबंध में जिन फर्मों ने विज्ञापन के सापेक्ष रिस्पान्स किया था उनके साथ बैठक हुई। बैठक में चर्चा एवं विचार–विमर्श के दौरान निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः–

1– टेण्डर डाक्यूमेंट जमा करने की पूर्व निर्धारित तिथि 04.09.2008 को बैठक में उपस्थित सभी संस्थाओं की सहमति से संशोधित किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार इच्छुक संस्थाएं टेण्डर डाक्यूमेंट दिनांक 10.09.2008 को अपरान्ह 2:00 बजे तक जमा कर सकते हैं।

2– संस्थाओं की भूमिका मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने की होगी (Human resourses service provider) की होगी।

3– तैनात किये जाने वाले विषय विशेषज्ञ पर नियंत्रण नामित संस्था का होगा।

4– विषय विशेषज्ञ से कार्य कराने का अधिकार एवं उत्तरदायित्व ग्राम्य विकास विभाग का होगा।

5– कार्यालय में बैठने का स्थान तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था ग्राम्य विकास विभाग द्वारा की जाएगी।

6– वित्तीय प्रस्ताव सेवा शुल्क (Service Tax) को सम्मिलित करते हुए किया जाएगा।

7– फर्म सभी 8 विषय विशेषज्ञ के लिए एक साथ प्रस्ताव देगी।

8– फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों में उपर्युक्त सभी 8 विषय विशेषज्ञ को प्रतिमाह भुगतान किये जाने वाली धनराशि का उल्लेख एक साथ निम्नानुसार किया जाएगाः–

Total Quot for 8 specialists प्रतिमाह
रु0––––––